



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-369/2022

दिनांक- 05-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मुबारकपुर

चोरी की घटना का अनावरण, अन्तर्जनपदीय 02 चोर गिरफ्तार, चोरी गये ट्रक बरामद।

1. पूर्व की घटना-

दिनांक 04.11.2022 को वादी मुकदमा श्री चन्द्रशेखर यादव पुत्र स्व0 बाबूराम यादव निवासी टेकारी थाना सिकरारा जनपद जौनपुर ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी का ट्रक नं0 UP 65 AT 7617 को दिनांक 03.11.2022 को अपना ट्रक उपरोक्त लेकर भाड़े के लिए आजमगढ़ आया था आज सुबह 4 बजे करीब अपनी ट्रक उपरोक्त जमुड़ी बाजार में खड़ी करके नित्य क्रिया के लिए चला गया था आधा घण्टे बाद लौट कर आकर देखा तो मेरा ट्रक उपरोक्त नहीं मिला काफी तलाश किया गया परन्तु कोई पता नहीं चलने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि मु0अ0सं0 342/22 धारा 379 भा0द0वि0 विरूद्ध अज्ञात चोर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत हुआ।

2. गिरफ्तारी का विवरण-प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में गठीत टीमो द्वारा धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि जो ट्रक चोरी हुआ है वह इस समय खुदिया बाजार में भगवानपुर जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। कि सूचना पर पुलिस फोर्स जैसे ही खुदिया बाजार में पहुची तो देखा की चोरी की ट्रक खड़ी है जिसमें दो व्यक्ति मौजूद मिले कि पुलिस फोर्स को देखते ही भागने का प्रयास किये की पुलिस बल द्वारा घेरकर दौड़ाकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ताजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ तथा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की ट्रक बाद होने तस्दीक बरामद कर अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 05.11.2022 को समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ

2. ताजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण:- एक अदद चोरी का ट्रक

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि साहब हम दोनो जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ में घुमफिर कर खड़े वाहनो को मौका देखकर चुरा लेते है और बिहार ले जाकर बेच देते है, तथा कल दिनांक 04.11.2022 को समय सुबह करीब 03.00 बजे जमुड़ी बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ से चुराये थे और पुलिस से बचने के लिए एकान्त में लाकर खड़ा कर दिये थे कि कुछ समय बीतने पर बिहार प्रान्त में ले जाकर बेच देते कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 242/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 379 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 544/2018 धारा 323,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद जौनपुर

2. मु0अ0सं0 341/2020 धारा 379,323,504,506 भादवि थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर

3. मु0अ0सं0 557/2019 धारा 323,336,452,504,506 भादवि व 3(1)द SC/ST Act थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर

4. मु0अ0सं0 373/2017 धारा 380,411,427 भादवि थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर

5. मु0अ0सं0 218/2018 धारा 379,411 भादवि थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर

6. मु0अ0सं0 589/2016 धारा 323,504 भादवि थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर

7. मु0अ0सं0 895/2017 धारा 120बी,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर

8. मु0अ0सं0 1805/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर

9. मु0अ0सं0 242/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

10. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 379 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ताजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 38/2021 धारा 379,401,411,414,467,468 भादवि थाना पवारा जनपद जौनपुर

2. मु0अ0सं0 357/2019 धारा 323,379,411,427 भादवि थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर

3. मु0अ0सं0 689/2021 धारा 379,411 भादवि थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज

4. मु0अ0सं0 09/2021 धारा 379,411 भादवि थाना बहरिया जनपद प्रयागराज
5. मु0अ0सं0 111/2021 धारा 379,411 भादवि थाना जार्ज टाऊन जनपद प्रयागराज
6. मु0अ0सं0 110/2021 धारा 379,411 भादवि थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज
7. मु0अ0सं0 217/2021 धारा 379 भादवि थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज
8. मु0अ0सं0 265/2021 धारा 401,411,414,420,467,468 भादवि थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज
9. मु0अ0सं0 242/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 379 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. SHO राजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर. उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे, का0 अजय कुमार चौबे, का0 संदीप शर्मा, का0 राहुल चौधरी, का0 सर्वेश चौरसिया, का0 मुन्ना यादव, म0का0 गरिमा शर्मा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली

हत्या के प्रयास में वांछित एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी मुकदमा लिखित सूचना दिये कि विपक्षी आजम एवाद खां, अबू जफर आजमी पुत्र अबू तालिब आजमी निवासी चकला, गुड्डू पुत्र स्व0 अहिया हनफी, मोअज्जम उर्फ जमा निवासी जामा मस्जिद, असफर खां पुत्र इम्तेयाज निवासी पहाड़पुर, रिन्कू पुत्र जकारिया निवासी बदरका, खुरदिल निवासी बदरका, अबू बकर पुत्र अबू तालिब निवासी चकला अब्दुल्ला पुत्र सरफराज निवासी जोधी का पूरा एवं लगभग 30 अन्य लोग असलहे व लोहे के राड से लैस थे, मेरे व मेरे साथियों पर जानलेवा हमला किया यह सभी लोग राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण - उ.नि. सुनील कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रिन्कू जकारिया उर्फ आसिफ जकारिया पुत्र मो. जकारिया निवासी बदरका थाना कोतवाली आजमगढ़ को आज दिनांक 5.11.22 को समय 9.15AM पर रोडवेज वर्क शाप के पिछली गेट के पास गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण – 1. मु0अ0सं0 83/22 धारा 147/148/149/352/307/भादवि 34 थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिन्कू जकारिया उर्फ आसिफ जकारिया पुत्र मो. जकारिया निवासी बदरका थाना कोतवाली आजमगढ़

क्र.स.	मु.अ.स.	धारा	थाना
1	1240/04	सी एल ए एक्ट 7 बी भादवि व 120,302,504,149,148,147	कोतवाली
2	1310/04	.आयुध अधि 25,3	कोतवाली
3	491/09	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली
4	0083/22	भादवि 34/307/352/149/148/147	कोतवाली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - रिन्कू जकारिया उर्फ आसिफ जकारिया पुत्र मो. जकारिया निवासी बदरका थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ.नि. सुनील कुमार दूबे मय हमराह चौकी प्रभारी पहाड़पुर, थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 04.11.2022 को वादी श्री हवलदार चौहान पुत्र जगदीश चौहान सा0 मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के उपस्थित थाना आकर एक नफर अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र नबी हसन सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व दो अदद तमंचा .315 बोर के साथ एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 352/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अताउल्लाह पुत्र नबी हसन सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र नबी हसन सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को 2 अदद तमंचा .315 बोर के साथ समय करीब 23.10 बजे पुलिस हिरासत में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1- मु0अ0सं0 352/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

अताउल्लाह पुत्र नवी हसन सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी- दो अदद नाजायज तमंचा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1)का0 दिनेश कुमार वर्मा, का0 अजीत कुमार, का0 रमेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

चोरी के जेवरात बरामद, चोरी करने वाले 02 गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03/04.11.2022 की रात्रि को वादी श्री अमित राजभर पुत्र लालता प्रसाद सा0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ खाना खा पीकर अपने घर में सोये थे कि गाँव के ही (1) अनुज यादव पुत्र चन्दभान यादव (2) डीएम यादव पुत्र राजकुमार साकि0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ वादी के घर में घुसकर बक्सा का ताला तोड़ कर बक्से में रखे जेवर लेकर जा रहे थे। तभी वादी के परिवार के लोगो के शोरगुल पर दोनो भाग गये। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 247/2022 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम (1) अनुज यादव पुत्र चन्दभान यादव (2) डीएम यादव पुत्र राजकुमार साकि0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। नामजद अभियुक्तगण को उनके कब्जे से चोरी के जेवरात के साथ आज दिनांक 05.11.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 05.11.2022 को उ0नि0 श्याम सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अनुज यादव पुत्र चन्दभान यादव सा0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। 2. डीएम यादव उर्फ विशाल यादव पुत्र राजकुमार सा0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गोरिया बाजार के पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से एक अदद गले का माला तथा 04 जोड़ी मीना (बिछिया) सफेद धातु, 01 अदद नथुनी पीले धातु की व एक जोड़ी पायल सफेद धातु की बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अनुज यादव पुत्र चन्दभान यादव सा0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. डीएम यादव उर्फ विशाल यादव पुत्र राजकुमार सा0 चाँदपुर भटौरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 247/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्याम सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- जहानागंज

मारपीट में वाँछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 04.11.22 को वादिनी मुकदमा निर्मला देवी पत्नी बरजू यादव प्रा0 मुस्तफाबाद सिंही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने समय करीब 4 बजे डीजे के विवाद को लेकर हमारे बेटे अजय यादव को हमारे गाव के सूर्यनाथ राजभर S/O चन्द्रेव राजभर, जसवन्त राजभर S/O मोती राजभर, जयकिसन राजभर S/O दिलीप राजभर राहुल राजभर S/O नन्दलाल राजभर व अशोक राजभर S/O जयराम राजभर इन लोगो ने हमारे बेटे को लाठी डन्डे व राड से मारे पीटे जिससे मेरे बेटे को सर मे चोट आई है और मौके पर बेहोश हो गया और मेरी दुकान मे तोड़ फोड़ किये गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 439/22 धारा 323/504/506/308/427/34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना अमल मे लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक0 05.11.2022 को उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त 1. सूर्य नाथ राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रदेव राजभर 2. जसवन्त राजभर पुत्र मोती लाल राजभर 3. अशोक राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासीगण मुस्तफाबाद सिंही थाना जहानागंज आजमगढ़ को महुवा मुरारपुर सरया मोड़ के पास से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही।

पूछताछ विवरण— 1. सूर्य नाथ राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रदेव राजभर 2. जसवन्त राजभर पुत्र मोती लाल राजभर 3. अशोक राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासीगण ग्राम मुस्तफाबाद सिंही थाना जहानागंज आजमगढ़ बदरियाफ्त पूछने पर अपना जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय मे देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 439/22 धारा 323/504/506/308/427/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूर्य नाथ राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रदेव राजभर
2. जसवन्त राजभर पुत्र मोती लाल राजभर
3. अशोक राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासीगण ग्राम मुस्तफाबाद सिही थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना मय हमराह जहानागंज आजमगढ़

थाना- फूलपुर

चेकिंग के दौरान 03 राशि गोवंशीय पशु व पीकअप वाहन के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 04.11.2022 को उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिकप वाहन पर गाय बछड़े गोवंश के लिए भोरमऊ के आगे ग्राम गण्डी से सिकरौर के तरफ जा रहा है, पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन को भोरमऊ तरकुल तिराहा के पास रोक लिया गया। वाहन रोकते ही ड्राइवर के सीट के बगल में बैठा एक व्यक्ति उतरकर तेजी से अंधेरे में भाग गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सूरजभान उर्फ सोनू पुत्र मनोज कुमार निवासी अगसडा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो नहीं बता सका वाहन उपरोक्त के पीछे बने ढाले को देखा गया तो 3 राशि गोवंश रस्सी से बंधे हुए पड़े है। पकड़े गये व्यक्ति को धारा 3/5A/8 गोबध नि0अ0 व 11 पशु क्रु0अधि0 का दण्डनीय अपराध बताकर समय 23.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। बरामद वाहन संख्या UP 50 BT 8278 को धारा 307 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0 सं0 352/22 धारा 3/5A/8 गोबध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0 सं0 352/22 धारा 3/5A/8 गोबध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरजभान उर्फ सोनू पुत्र मनोज कुमार निवासी अगसडा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बरामदगी- 03 राशि गोवंशीय पशु व एक अदद सीज शुदा पीकप वाहन सं0 UP 50 BT 8278 गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

गैगेस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दि0 04.11.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 277/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट बनाम1 मनोज सिंह (ठाकुर) पुत्र स्व0 रघुपति सिंह ग्राम आमगाँव थाना दीदारगंज आजमगढ़.2. राजु कुमार शर्मा उर्फ मोनू पुत्र स्व0 कमलेश शर्मा निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़ 3. अरुनीश सिंह उर्फ विककी सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह निवासी अमनावे थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4. शैलेश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी कुरियावां थाना सरायमीर आजमगढ़ 5. प्रवीण यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र यादव निवासी खरसहन खुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 05.11.2022 को SHO विजय प्रताप सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अरुनीश सिंह उर्फ विककी सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह पता ग्राम अमनावे, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 35 वर्ष 2. प्रवीण यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र यादव निवासी ग्राम खरसहनखुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को जैगहा मोड़ समय करीब 05.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 277/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अरुनीश सिंह उर्फ विककी सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह पता ग्राम अमनावे, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 35 वर्ष
2. प्रवीण यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र यादव निवासी ग्राम खरसहनखुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष

आपराधिक इतिहास- 1. अरुनीश सिंह उर्फ विककी सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह पता ग्राम अमनावे, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	251/17	143/341/353 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
2	277/22	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

आपराधिक इ0 अभियुक्त 2. प्रवीण यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र यादव निवासी ग्राम खरसहनखुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	220/15	147/323/504/506/452 भा0द0वि0	दीदारगंज	आजमगढ़
2	277/22	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
3	251/17	143/341/353 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
4	152/18	147/323/504/506 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़